कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द (छ.ग.)

फोन – 07723–223305, फैक्स – 07723–223302, Email - msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक/129/क/एस.डब्ल्यू./2022 महासमुंद, दिनांक 27/01/2022

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/12/क/एस.डब्ल्यू./2022 महासमुन्द, दिनांक 04.01.2022 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, एपिडेमिक डिसिजेस एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला महासमुन्द में कुछ गतिविधियों पर आगामी आदेश पर्यन्त युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।

महासमुन्द जिले में अधिरोपित प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना वायरस प्रकरणों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। अतएव छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुक्रम में एवं वर्तमान परिस्थितियों व लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए अधिरोपित प्रतिबंधों में कड़ाई किया जाना अतिआवश्यक हो गया है।

अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144, एपिडेमिक डिसिजेस एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन कार्यालयीन आदेश क्रमांक/12/क/एस.डब्ल्यू./2022 महासमुन्द, दिनांक 04.01.2022 को अधिक्रमित करते हुए मैं, नीलेशकुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द, निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं :–

01. महासमुन्द जिला अंतर्गत रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया जाता है, परन्तु कोविड गाईडलाईन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग–अनलोडिंग की अनुमति होगी। पेट्रोल पम्प, दवाई दुकान, दवाई की डिलीवरी, एम्बुलेंस को प्रतिबंध से छूट होगा एवं पूर्ववत् नियमित समय अनुसार संचालित रहेंगे।

02. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आईट्म, फूड कोर्ट एवं अन्य खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11:00 बजे तक संचालित होंगे। फूड की होम डिलीवरी रात्रि 11:00 बजे तक किया जा सकेगा।

03. नगरीय निकाय सीमाक्षेत्र के बाहर राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा मुख्य सड़क मार्ग में स्थित ढाबे रात्रि 11:00 बजे के बाद भी ट्रक, बस एवं अन्य परिवहन वाहनों के लिए संचालित हो सकेंगे।

04. महासमुन्द जिला अंतर्गत समस्त प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक/सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अंत्येष्टि को छोड़कर) सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला अथवा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

05. छत्तीसगढ़ शासन के आदेश क्रमांक 564/ससाप्रवि/2021 दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 100 से 200 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व निकटतम थाना/नगरीय निकाय को सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की दशा में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाईल नंबर संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

06. महासमुन्द जिला अंतर्गत समस्त स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। वेक्सीनेशन कार्य हेतु वर्ष 15–18 आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल परिसर में कोविड गाईडलाईन एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है। कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता है।

07. सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2021 में निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। उक्त निर्देश का पालन करने हेतु तहसीलदार/नायब तहसीलदार/नगर पालिका/नगर पंचायत/थाना अधिकृत होंगे। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

08. महासमुन्द जिले अंतर्गत सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जा सकेगा।

09. अंतर्राज्यीय सीमा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा, अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर सैम्पलिंग/टेस्टिंग की जावेगी एवं रिपोर्ट पॉजिटीव आने पर संबंधित यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्वारंटाईन रहना पड़ेगा।

10. यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खॉसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसूस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड–19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

11. यदि किसी क्षेत्र में कोविड–19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है, तो उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

12. विदेश से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

13. समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजन न करें, अत्यधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अथवा वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित करेंगे।

14. समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विक्रय हेतु मास्क/सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय किया जावे। उल्लंघन किये जाने पर नगरीय निकाय के अधिकारी, पुलिस विभाग के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें।

15. जिला स्तर के नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 07723–223305 है।

16. निजी अस्पताल नियमित रूप से बिस्तर उपलब्धता की जानकारी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईट पर अपडेट करेंगे।

17. महासमुन्द जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, क्वारंटाईन और इलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीसेज एक्ट, 1897 यथासंशोधित 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा।

यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आज दिनांक 27 जनवरी, 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

27/1/22

(नीलेशकुमार क्षीरसागर)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/129 /क/एस.डब्ल्यू./2022 महासमुंद, दिनांक 27/01/2022

प्रतिलिपि :–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ प्रेषित।
04. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
05. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज रायपुर को सूचनार्थ।
06. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।
08. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
09. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इन्सीडेंट कमांडर, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपके क्षेत्र अंतर्गत व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
11. जिला परिवहन अधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. स्टेशन मास्टर, महासमुन्द/बागबाहरा/कोमाखान/भीमखोज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला महासमुन्द (छ.ग.)

13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

14. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15. सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ तथा अपने शासकीय स्तर से, सोशल मिडिया के माध्यम से प्रसारित किये जाने हेतु अग्रेषित।

16. समस्त आम जनता, जिला महासमुन्द द्वारा सहायक संचालक, जनसम्पर्क महासमुन्द को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(नीलेशकुमार क्षीरसागर)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.) 23/1/22

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला-महासमुन्द (छ.ग.)